संख्या-219/2018/462/69-1-18-45(म0ब0-83)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। लखनऊ : दिनांक : 8 मार्च, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-जालौन की 35 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4818/39/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 05 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत"** वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद जालौन की न0पा0परि0, कालपी, उरई, कोंच एवं जालौन तथा न0पं0, कोटरा की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 35 परियोजनाओं हेतु कुल **रू0 435.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रू0 217.69 लाख (रूपये दो करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार मात्र)** की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(अ)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश: इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

क्रमश:..........2

720

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूड (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त, सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

क्रमशः..........3

http://shasanadesh.up.nic.in

16. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणनों में संशोधन सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-678/दस-2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
31/3/18
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-219 /2018/462(1)/69-1-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जालौन ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 219 /2018/462(1)/69-1-18-45(म0ब0-83)/2018, दिनांक 31 मार्च, 2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	जालौन	न ,परि0पा0 कालपी	वार्ड नं सदर बाजार कालपी में के मोहल्ला 24 0 समी अहमद के मकान से जगत यादव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	6.30	3.15
2	तदैव	तदैव	वार्डनंटरननगंज कालपी में रामजानकी 0मो 13 0 मंदिर के सामने रोड तक इंटरलाकिंग सड़कएवं नाली निर्माण का कार्य।	2.97	1.485
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं कालपी में छुन्नातरीबुल्दा 0मो 14 0 कि के मकान से रवि शंकर के मकान तक बाल्मी इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	14.59	7.295
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं में नरेन्द्रतरीबुल्दा 0मो 14 0तिवारी की फैक्ट्री के सामने से सुनीता गुप्ता की फैक्ट्री तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	18.25	9.125
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं में बैजनाथ निषाद के तरीबुल्दा 0मो 14 0 मकान से रामसंजीवन निषाद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	21.66	10.83
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं के सर्किट 0डीडब्ल्यू0राजघाट में पी 0मो 0 र मंदिर के सामने मैदान आउस के पीछे से पातालेश्व तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.12	2.56
7	तदैव	न0पं0, कोंच	वार्ड नंतलापुरा में कमला धोबी के मकान से 0मो 0 हरदयशल टीमर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	2.48	1.24
8	तदैव	तदैव	वार्ड नंमुजफ्फरनगर में रामसेवक धोबी के 0मो 0 मकान से तुलाराम केवल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.05	2.525
9	तदैव	तदैव	वार्ड नं 0मो 0मुजफ्फरनगर में सन्तू धोबी के मकान से सन्तोष धोबी के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	3.86	1.93
10	तदैव	तदैव	वार्ड नं दास वर्मा के मुजफ्फरनगर में गोविन्द 0मो 0 मकान से कुटी मन्दिर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.52	2.76
11	तदैव	तदैव	वार्ड नंनरसिंगपुरा में वंशी यादव के 0मो 06 0 मकान के पीछे से पटैरया होकर करबला की ओर	8.78	4.39

http://shasnadesh.up.nic.in

			तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।		
12	तदैव	तदैव	वार्ड नं कारीगर के नरसिंगपुरा में मुन्ना 0मो 06 0 मकान से मस्जिद होते हुयेइस्लाम मिर्जा के मकान की ओर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	7.91	3.955
13	तदैव	तदैव	वार्ड नंरकॉलेज गेट से गांधीनगर में इण्ट 0मो 01 0 नाली एवं ,रलाकिंग सड़ककॉलेज की ओर इण्ट साइडवाल का निर्माण कार्य।	8.78	4.39
14	तदैव	तदैव	वार्ड नं 01 0मोगांधीनगर में नाले के पास से 0 रलाकिंग व नाली का परिषद की ओर इण्टमण्डी निर्माण कार्य।	16.14	8.07
15	तदैव	तदैव	मोभ नारेघाट में सलीम के मकान से गोपी बल्ल 0 मंदिर होते हुये नदी तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	16.86	8.43
16	तदैव	न0परि0पा0, उरई	वार्ड नं में राजकुमार वर्मा के मकान से राजेन्द्र 11 0 व के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नालीश्रीवास्त निर्माण का कार्य।	6.48	3.24
17	तदैव	तदैव	वार्ड नं लेखपाल के दरवाजे नगर में मुन्नीइन्द्रा 03 0 रमेश के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क 0से स्वएवं नाली निर्माण का कार्य।	7.70	3.85
18	तदैव	तदैव	वार्ड नंखरे) निरंजननगर में जितेन्द्रइन्द्रा 20 0 के मकान से करन लोधी के मकान होते हुये (भईया नाले की सड़क) तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	20.49	10.245
19	तदैव	तदैव	पटेलनगर रामकुण्डा की बाउण्ड्री से विष्णु मंदिर तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	11.07	5.535
20	तदैव	तदैव	मोजहारियापुरवा में विकास भवन के पीछे तक 0 इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	3.93	1.965
21	तदैव	तदैव	इन्द्रानगर में राधामोहन के मकान से सत्यनारायण गुप्ता के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	9.41	4.705
22	तदैव	तदैव	मो जूता वाले मैकेनिक नगर कोच रोड से गिन्नी 0 रलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण के मकान तक इण्ट का कार्य।	32.15	16.075
23	तदैव	न0परि0पा0, कोंच	मो आराजी लेन में नगर 0चौधरी के मकान से रामतलैया पुल तक आरनाला निर्माण का 0सी0सी0 कार्य।	25.02	12.51
24	तदैव	तदैव	वार्ड नंगांधीनगर में पवल कुशवाहा के 0मो 01 0 0सी0मकान से सिंहवाहिनी मंदिर तक सी/ इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	22.74	11.37

http://shasanadesh.up.nic.in

25	तदैव	तदैव	वार्ड नंभगत सिंह नगर में रशीद 0मो 0 के मकान से शर्मा जी की चक्की (जीमुल्ला)अंसारी 0सी0के मकान होते हुये जुझारपुरा रोड तक सी/रोड व नाली का निर्माण कार्य।	25.14	12.57
26	तदैव	तदैव	मो निरंजन देवगांव कालोनी में गणेशखरामकुण्ड 0 मवाले के दरवाजे से वीरेन्द्रास्टर कटकरी वालों के दरवाजे होते हुये चन्द्रप्रकाश तिवारी के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	7.96	3.98
27	तदैव	तदैव	मोरूप फरैया के मकान कालोनी में रामस्वरामकुण्ड 0 वालों के मकान की ओर से लाल जी निरंजन अण्डा रलाकिंग सड़कइण्टएवं नाली निर्माण का कार्य।	6.44	3.22
28	तदैव	तदैव	मोपटेलनगर में पीलीकोठी से कांच के मंदिर की 0 रलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।और इण्ट	15.87	7.935
29	तदैव	न0परि0पा0, जालौन	मोभवानीराम में सीताराम कुशवाहा के मकान से 0 द्विवेदी केधर्मेन्द्रमकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	13.81	6.905
30	तदैव	तदैव	मो निरंजन के मकान से भवानीराम में महेन्द्र 0 रलाकिंग सड़क एवं अविलाक के मकान तक इण्ट नाली निर्माण का कार्य।	15.23	7.615
31	तदैव	तदैव	मो कुशवाहाचर्खीलाल में कमलाकान्त 0के मकान से कृष्ण मुरारी उपाध्याय के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	15.08	7.54
32	तदैव	तदैव	मोनया खंडेराव लौना रोड से गोपाल साहू के 0 रलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का मकान तक इण्ट कार्य।	16.09	8.045
33	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 04 0फर्टनवीस में फुन्दी सिंह याजिजक के मकान से नरेन्द्र सिंह चौहान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	5.77	2.885
34	तदैव	तदैव	मोभवानीराम में जीवन बीमा के कार्यालय से 0 वर्मा पूर्व चेयरमैन के मकान की ओर कान्ती रलाकिंग सड़क एवंइण्टनाली निर्माण का कार्य।	18.34	9.17
35	तदैव	तदैव	मो मा नन्दधाम मंदिर से श्यातोपखाना में अखण्ड 0 रलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण के मकान तक इण्ट का कार्य।	12.39	6.195
			योग	**435.38**	**217.69**

(रूपये दो करोड़ सत्रह लाख उनहत्तर हजार मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रहमचारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in